

कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन राजस्थान जयपुर

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर 302005

क्रमांक-गो.शा./मुअजस/राप/PAR(Online)/2020/999

दिनांक:- 23/3/2021

कार्यालय आदेश

विषय- राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा के अभियंताओ (मुख्य अभियंता से सहायक अभियंता) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 से ऑनलाइन ही भरे जाने सम्बंध मे।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा के अभियंताओ (मुख्य अभियंता से सहायक अभियंता) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 से ऑनलाइन ही भरे जाने है। इस कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी वांछनीय है :-


1. (i) प्रतिवेदित अधिकारी अपने SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज Select कर PAR MODULE को Select करे।
SSO ID > Raj Kaj > Employee Corner > PAR
- (ii) PAR MODULE मे स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुक्रम (Hierarchy) निर्धारित चैनल अनुसार (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी) नियत (Fixed) करें।
- (iii) Mark to Authority (Establishment) को प्रेषित करें।
- (iv) Mark to Authority (Establishment) द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा नियत (Fixed) अनुक्रम (Hierarchy) की जांच की जाएगी। यदि अनुक्रम (Hierarchy) सही नहीं है तो इस स्तर पर Mark to Authority (Establishment) एव प्रतिवेदित अधिकारी दोनों के द्वारा इसमे संशोधन किया जा सकता है। यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा अनुक्रम मे संशोधन Mark to Authority (Establishment) द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा नियत (Fixed) अनुक्रम (Hierarchy) को Confirm कर PAR Initiate करने से पूर्व ही किया जा सकेगा। Mark to Authority (Establishment) द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा नियत (Fixed) अनुक्रम (Hierarchy) को Confirm कर PAR Initiate की जाएगी। इसके बाद प्रतिवेदित अधिकारी PAR के भाग संख्या-I की पूर्ति कर प्रतिवेदक अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
2. (i) प्रतिवेदक अधिकारी प्रतिवेदन पर अपनी अभ्युक्ति अंकित कर प्रतिवेदन समीक्षक अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
- (ii) समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदन पर अपनी अभ्युक्ति अंकित कर स्वीकारकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
- (iii) स्वीकारकर्ता अधिकारी प्रतिवेदन को स्वीकार कर प्रतिवेदन पुनः Mark to Authority (Establishment) को प्रेषित करेंगे।
- (iv) Mark to Authority (Establishment) इस प्रतिवेदन को प्रतिवेदित अधिकारी को प्रतिवेदन मे अंकित अभ्युक्तियों के अवलोकन हेतु अग्रेषित करेंगे।
- (v) अवलोकन के बाद प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन मे अंकित अभ्युक्तियों से सहमति प्रदान कर Mark to Authority (Establishment) को लौटा दी जाएगी।

प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने की विस्तृत प्रक्रिया हेतु User Manual भी उपलब्ध है, PAR भरने की प्रक्रिया से पूर्व इसका अवलोकन आवश्यक रूप से कर ले जिसका Path निम्नानुसार है:-

SSO ID > Raj Kaj > Others > (7) PAR/ACR Manual.

अतः राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा के समस्त अभियंताओ (मुख्य अभियंता से सहायक अभियंता) को निर्देशित किया जाता है कि वे उनका वर्ष 2020-21 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक रूप से ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करे।

वर्ष 2020-21 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे।


मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग राजस्थान
जयपुर।

क्रमांक-गो.शा./मुअजस/राप/PAR(Online)/2020/223-228

दिनांक:- 23/03/2021


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन राजस्थान जयपुर ।
2. विशिष्ट शासन सचिव जल संसाधन राजस्थान जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग राजस्थान जयपुर।

4. मुख्य अभियंता /अतिरिक्त मुख्य अभियंता -----को प्रेषित कर लेख है कि सभी संबन्धित को आवश्यक रूप से अवगत कराए।

5. अधीक्षण अभियंता (ई-गवर्नेंस) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6. समस्त राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा अधिकारीगण।


अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा. सहा.
वास्ते मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग राजस्थान
जयपुर।